मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण,उ0प्र0

तृतीय तल,अपट्रान भवन, गोमती नगर, लखनऊ

फोन नं0–0522–2308502

ई मेल–lkomdm@gmail.com
Website : www.upmdm.org

पत्रांकः म0भो0प्रा0/सा0/C-1052 /2019–20 दिनांक : 09-10-19

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

विषयः मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत नवीन बर्तन क्रय एवं बर्तन रिप्लेसमेन्ट हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि शासनादेश संख्याः 1095/अड़सठ–3–2019 दिनांकः 30 सितम्बर, 2019 (छायाप्रति संलग्न) के माध्यम से मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत प्रदेश के 656 विद्यालयों में नवीन बर्तन क्रय हेतु व 16573 विद्यालयों में बर्तन रिप्लेसमेन्ट अर्थात् 17,229 विद्यालयों हेतु कुल धनराशि रू0 861.45 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है।

उपरोक्त के क्रम में अनुरोध है कि जनपद में स्थानीय स्तर पर किचेन उपकरण/बर्तन निम्नानुसार क्रय/व्यवस्थित किये जाने की व्यवस्था की जाये :–

1. नवीन बर्तन क्रय (For New Procurement) मद में उपलब्ध करायी गयी धनराशि का आवंटन उन्हीं विद्यालयों को किया जाये, जिनमें अद्यतनं बर्तन उपकरण मद में धनराशि उपलब्ध न करायी गयी हो।
2. बर्तन रिप्लेसमेन्ट (For Replacement) मद में उपलब्ध करायी गयी धनराशि का आवंटन ऐसे विद्यालयों को किया जाये, जिनमें बर्तन उपकरण मद में धनराशि उपलब्ध कराने के 05 वर्ष पूर्ण हो गये हों। इस हेतु नामांकन के आधार पर 50 छात्र संख्या वाले विद्यालयों को प्राथमिक देते हुए आवंटन किया जाये। धनराशि अवशेष होने की स्थिति में 51–150 छात्र संख्या, 151–250 छात्र संख्या व 250 से अधिक छात्र संख्या वाले विद्यालयों को आवंटन किया जाये।
3. उक्त के उपरान्त शेष ऐसे विद्यालय जिनमें बर्तन उपकरण मद में धनराशि उपलब्ध कराने के 05 वर्ष पूर्ण हो गये हों, का नामांकन के आधार पर वर्गीकरण कर (50 तक छात्र संख्या, 51–150 छात्र संख्या, 151–250 छात्र संख्या व 250 से अधिक छात्र संख्या) विद्यालयों के यू–डायस कोड की सूचना प्राधिकरण को तत्काल उपलब्ध कराया जाये।
4. स्वीकृत धनराशि को जिलाधिकारियों द्वारा आहरित कर निर्धारित मद में व्यय किया जायेगा। धनराशि कालातीत हो जाने के लिए संबंधित अधिकारी/कर्मचारी का उत्तरदायित्व निर्धारित कर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

5. धनराशि के लेखों के रख–रखाव की समस्त कार्यवाही जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित करायी जायेगी तथा विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण को उपलब्ध कराए जायेंगे।
6. धनराशि आवंटन से एक माह की अवधि में विद्यालयों के मध्यान्ह भोजन निधि खाते में धनराशि का प्रेषण तथा आगामी एक माह की अवधि में समस्त बर्तन/उपकरण का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
7. धनराशि का अलग से लेखा खाता रखा जाएगा और इस धनराशि को जिस कार्य के लिए स्वीकृत किया गया है, इसके अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग में नहीं लिया जाएगा।
8. धनराशि से क्रय की गयी वस्तुओं का पूर्ण विवरण विद्यालय स्तर पर स्टॉक रजिस्टर में नियमानुसार अंकित किया जाएगा तथा क्रय किये गये उपकरणों का भौतिक सत्यापन संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जाएगा एवं इसका अंकन स्टॉक रजिस्टर में अनिवार्य रूप से किया जाएगा।
9. जिलाधिकारी द्वारा विद्यालयों में क्रय की गयी वस्तुओं का रैण्डम आधार पर सत्यापन एवं आवश्यकतानुसार गुणवत्ता जॉच कराया जायेगा।
10. क्रय किये जाने वाले उपकरणों पर, यथासम्भव, विद्यालय का नाम व क्रय की तिथि अंकित की जायेगी।
11. क्रय किये जाने के उपरान्त समस्त बर्तन/उपकरण को एक साथ रसोई में व्यवस्थित कर फोटोग्राफ ली जायेंगी। संबंधित समस्त फोटोग्राफ को विद्यालय व जनपद स्तर पर सुरक्षित रखा जायेगा।

कृपया उक्त निर्देशों का जनपद स्तर पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने की व्यवस्था की जाये।

संलग्नकः उक्तवत्।

भवदीय

(विजय किरन आनन्द)
निदेशक

पृष्ठांकन व दिनांकः उक्तवत्।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
2. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
3. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0।
4. समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0।
5. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
6. समस्त जिला पंचायती राज अधिकारी, उ0प्र0।
7. समस्त वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0।

(विजय किरन आनन्द)
निदेशक